उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
रिट याचिका (एम/एस) संख्या–403/2022
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत)

मैसर्स जे.डी. खनिज द्वारा प्रोपराईटर ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य ...उत्तरदाताओं

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डीके जोशी।
श्री एस.एन.बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता,
श्री सी.एस.रावत, उत्तराखंड राज्य के सी.एस.सी.

दिनांकः 28 अप्रैल, 2022

माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा,

याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उठाए गए मूल प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस न्यायालय को एस0सी0एस0टी0 आयोग अधिनियम के प्राधिकारी की अधिकारिता की व्याख्या के साथ–साथ उन प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना होगा जो विशेष रूप से खान और खनिज अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खान और खनिज अधिकारों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के पास निहित हैं। जिनको 1963 में विनियमित नियमों के अन्तर्गत नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संविधान का मूल उद्देश्य और आपत्ति जैसा कि राज्य विधान अर्थात उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 (इसके बाद 2003 का अधिनियम कहा गया) पर विचार किया जाए। तो आयोग के पास जो भी अधिकार निहित किए गए हैं, उनका प्रयोग उत्पीड़ित समुदाय के सदस्यों के कल्याण के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संरक्षित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 2 के उपधारा (एफ) और (जी) के अन्तर्गत परिभाषित जाति को ध्यान में रखते हुए। इसकी प्रयोज्यता के दायरे को बड़े पैमाने पर जनता पर लागू करने के लिए निरर्थक रूप से व्यापक नहीं किया जा सकता है और वह भी उन विषयों के लिए जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं। विचारणीय विषय यह होगा

कि क्या सभी राज्य कार्यकारी, जो उस क्षेत्र पर अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष स्तर पर हैं, जिसके साथ उन्हें कानून के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निहित किया गया है, एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कर सकते हैं। जिनको एससी एसटी आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश द्वारा शासित किया जा सकता है। जो 2003 के अधिनियम की शक्तियों एवं प्रावधानों के दायरे से परे है।

2. 2003 के अधिनियम का मुख्य विधायी उद्देश्य, जिले के कार्यपालिका की शक्तियों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नहीं था, जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत अपवादों को छोड़कर क्षेत्र के मामलों के प्रशासन के अपने अनन्य अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना है और 2003 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को तर्कहीन रूप से खान और खनिज अधिनियम के स्वतंत्र प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित अधिकारों में प्रवेश करने के लिए भी व्यापक नहीं किया जा सकता है।

3. इस मामले में तथ्य यह है कि जिला पिथौरागढ़ के बजेटा गांव में खनन गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने कथन किया कि वह गांव बजेटा जिला पिथौरागढ़ के 7.967 हेक्टेयर क्षेत्र से सोपस्टोन की खुदाई के लिए पट्टा प्राप्त करने के लिए एक आवेदक व उम्मीदवार था।

4. याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक सफल बोलीदाता के रूप में उसको दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित किए गए अनुबन्ध/पट्टा की शर्तो के अनुसार 50 साल की अवधि के लिए सोपस्टोन की खुदाई करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने थे। रिट याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि विभिन्न कोडल औपचारिकताओं से पहले दिनांक 12.11.2021 को लीज डीड के निष्पादन के परिणामस्वरूप उसको प्राप्त अधिकारों पर तहसीलदार के स्तर से लेकर जिला मजिस्ट्रेट तक जिले के कार्यकारी द्वारा खनन विभाग के अधिकारियों सहित दिनांक 13.10.2020 की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता और खुद जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में सोपस्टोन की खुदाई के अधिकार के निर्माण की परियोजना की वास्तविक संभावना से अवगत कराया, जो दिनांक 17.12.2020 को, यानी उससे

पहले बनाया गया था। वास्तव में दिनांक 12.11.2021 को लीज डीड के निष्पादन में यह पाया गया है कि ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई विश्वसनीयता नहीं है और अनुबंध के निष्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 61वीं बैठक की सिफारिशों के तहत निहित प्रावधानों के साथ–साथ पर्यावरण और वन मंजूरी के अनुरूप है। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 12.08.2021 को याचिकाकर्ता के पक्ष में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप दिनाक 23.09.2021 को निष्पादित सरकारी आदेश संख्या 1425/VII-A-1/2021/1(13)/18 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में लीज–डीड के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए अवधारण किया गया था और दिनांक 12.11.2021 को उसके पक्ष में भी पंजीकृत किया गया था।

5. लेकिन याचिकाकर्ता के सामने अज्ञात कारणों से और वह भी प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों का पालन किए बिना स्थानीय अधिकारियों ने पट्टे को रद्द करने के किसी भी आदेश के बिना याचिकाकर्ताओं को दिनांक 12.11.2021 के लीज डीड के अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत काम करने में बाधाएं पैदा कीं और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिवादी संख्या 3 को सभी अनुरोध जो उसने दिनांक 24.11.2021 व 09.01.2022 को किए थे, प्रतिवादी के कार्यालय द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी और इसलिए अंततः याचिकाकर्ता को दिनांक 23.12.2021 को मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायत करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। कार्रवाई और निष्क्रियता या प्रेरित कार्रवाई, जो प्रशासनिक अधिकारियों के इशारे पर पट्टे की समाप्ति के बिना दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित लीज डीड की शर्तों के अन्तर्गत सोपस्टोन की खुदाई में याचिकाकर्ता के कामकाज में अवरोध पैदा करने के लिए और वह भी बिना कोई आदेश पारित किए या उसे सुनवाई का कोई अवसर देने के बाद की गयी। इसलिए इस न्यायालय का मत है कि अनुबंध के अपने निष्पादन के बाद कोई भी मौखिक बाधा जो अधिकारियों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है कानून की नजर में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जबकि उसे कानून का समर्थन नहीं मिल रहा है।

6. लेकिन अंततः याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में मामला उठाया है कि वास्तव में, बाद में याचिकाकर्ता को यह परिलक्षित किया गया कि यह एक मौखिक

आदेश पर था और बल्कि एक संचार था जो दिनांक 08.11.2021 को कार्यपालिका को किया गया था, जहां एससी एसटी आयोग द्वारा एसडीएम को किसी व्यक्ति की शिकायत पर दिनांक 08.11.2021 के अपने संचार के माध्यम से खनन गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया था। प्रश्न यह होगा कि 2003 के अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए एससी एसटी आयोग के पास निहित शक्तियों के उपयोग का दायरा क्या है, जो अधिनियम के दायरे से परे किए गए अधिकारियों के कार्य में प्रवेश करने के लिए है, जो उनके अधिकारों का स्रोत है। यदि अधिनियम को ही ध्यान में रखा जाता है, तो इस न्यायालय का विचार है कि 2003 के अधिनियम को तैयार करने का एकमात्र विधायी उद्देश्य केवल उत्पीड़ित वर्ग के कल्याण और हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से था, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है और इसे तर्कहीन रूप से विस्तारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ताकि कार्यपालिका के कामकाज में कोई बाधा पैदा हो सके, जो वे अन्यथा लागू कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जो इस मामले में खान और खनिज अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम हैं। इस प्रयोजनार्थ, 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार निकाला गया हैः–

> ''उत्तरांचल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने के लिए एक अधिनियम ताकि इससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का प्रावधान किया जा सके''

7. अधिनियम के कथन, उद्देश्य और कारणों के दृष्टिकोण विवाद को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भले ही अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया हो, जैसा कि इसके अध्याय 3 में निहित है, जो इसकी धारा 11 और 12 में आयोग के कर्तव्यों और कार्यों के साथ–साथ शक्तियों के दायरे का प्रावधान करता है, जिनका उपयोग आयोग कर सकता है। इसमें उस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसमें आयोग ने खनन गतिविधियों से संबंधित निर्देश जारी करके उद्यम करने की कोशिश की है, क्योंकि यह वर्तमान मामले में विचार को प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से जब संविधि ने अपनी विशिष्ट शर्तों में

अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्तियों और कार्यों के प्रयोग को सीमित कर दिया है, जिसे इसके तहत निकाला गया हैः

"11. (1) आयोग का यह कर्तव्य होगाः–

(क) संविधान के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, उन सुरक्षोपायों के कार्यकरण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें करना और

(च) संरक्षण, कल्याण के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास और उन्नति से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसे भेजा जाए।

(2) राज्य सरकार आयोग की रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी जिसमें सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के कारणों, यदि कोई हो, को स्पष्ट किया जाएगा।

8. इसे आयोग द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्ट कार्य या व्याख्या द्वारा व्यापक नहीं किया जा सकता है। जो अंततः एक ऐसी स्थिति में ले जा सकता है जहां आयोग को कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए लिया जाएगा, जो अन्यथा कानून के तहत मामलों को विनियमित करने और प्रबंधित करने के लिए शक्तियों का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से अधिकारियों का विशेषाधिकार है। इस प्रकार भी 2003 के अधिनियम के अध्याय 3 के परिप्रेक्ष्य से चूंकि आयोग को विशेष रूप से ऐसी शक्तियों के साथ निहित नहीं किया गया है जहां वे खनन गतिविधि को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से सिफारिश कर सकते थे, निर्देश स्वयं आयोग की क्षमता के बिना होंगे।

9. इस प्रकार इस न्यायालय का मत है कि जहां तक एस0सी0/एस0टी0 आयोग द्वारा खनन गतिविधि को रोकने के लिए कार्यपालिका के कामकाज को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियों का प्रयोग है, क्योंकि एस0सी0/एस0टी0 समुदाय के सदस्यों में से एक ने शिकायत की है, कुछ कथित नुकसान, उसे हो सकता है, यदि दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित पट्टे के तहत खनन गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाती है, तो एस0सी0/एस0टी0 आयोग के निर्देशों पर खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने या खनन गतिविधि को रोकने में बाधा पैदा करने के लिए अलग–अलग नहीं निकाला जा सकता है, जिसे कानून के अन्तर्गत ऐसी कोई शक्ति नहीं मिली है और यह 2003 के अधिनियम के अध्याय III के अन्तर्गत प्रदान किए गए एस0सी0 और एस0टी0 आयोग के कार्यों और शक्ति से परे है, जो अधिनियम की धारा 11 और 12 में निहित है।

10. इस विवाद को एक और परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए, यह कि एस0सी0/एस0टी0 आयोग द्वारा शक्तियों के प्रयोग का दायरा क्या होगा, जहां एस0सी0/एस0टी0 आयोग को किसी भी प्रश्न या अधिकार पर कोई 'निर्यायक अधिकार' नहीं दिया गया है, जिसे किसी अधिनियम के अन्तर्गत जनता या किसी व्यक्ति को दिए जाने पर विचार किया गया है और 2003 के अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए एस0सी0/एस0टी0 आयोग के पास निर्णायक अधिकार न होने के कारण एस0सी0/एस0टी0 आयोग को दिनांक 08.11.2021 का आदेश पारित करने का

भी कोई अधिकार नहीं था, जिसमें उप–विभागीय मजिस्ट्रेट को खनन गतिविधि पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित लीज डीड के अन्तर्गत कार्य की उम्मीद थी। एसडीएम या अन्य कार्यकारी अधिकारी एस0सी0/एस0टी आयोग के अधीनस्थ नहीं हैं, क्योंकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए उन पर नियंत्रण की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। एक अन्य तर्क है जिसमें इस न्यायालय का मत है कि यदि एस0सी0/एस0टी0 आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित निर्णयाधार के मद्देनजर न्यायिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो वह राज्य के अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग में प्रवेश नहीं कर सकता है।

11. यदि आयोग के पास न्यायिक अधिकार निहित नहीं है, तो एस0सी0/एस0टी0 आयोग खनन गतिविधि पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी कार्य को करने या न करने की अनुमति देने की शक्ति हमेशा एक कानून का निर्माण करती है। यदि कानून आयोग को कोई शक्ति प्रदान करने पर चुप है, जिसने अधिकारियों को कानून से समर्थित और एक पंजीकृत पट्टा विलेख के आधार पर किसी गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग को कानून के अन्तर्गत किसी भी प्राधिकरण के पास निहित नहीं किया गया है जो खान और खनिज अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अपने प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में अधिकारियों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण रखता है, जिसमें व्यक्तियों को खनन अधिकार देने के कार्य शामिल हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनधिकृत रूप से जारी किए गए निर्देशों के कारण जब कोई रोक लगाई गई थी और याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं किया गया था, अधिकारियों ने उसे पट्टे के अन्तर्गत खनन गतिविधियों को करने की अनुमति देने के उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, तो उसने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद रिट कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार बुलाया कि किन परिस्थितियों और किन कारणों और शक्तियों के लिए वह पट्टे की निरन्तरता के दौरान खनन गतिविधि को रोक सकते थे, जब यह कानून की नजर में लागू था और इसे किसी भी आदेश द्वारा रद्द या समाप्त नहीं किया गया था।

12. इसके जवाब में जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की खनन गतिविधि में रोक लगाने की जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2003 के अधिनियम की धारा 10 के तहत निहित प्रावधानों का संदर्भ दिया।

13. यह न्यायालय धारा 10 के प्रभाव और उसके विधायी उद्देश्यों और उद्देश्यों का वर्णन आवश्यक समझाता है, जो निम्न प्रकार हैः–

> **''10. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।''**

14. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा 2003 के अधिनियम की धारा 10 की व्याख्या के आधार पर दिया गया तर्क इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2003 के अधिनियम की धारा 10 केवल एक 'सक्षम प्रावधान' है, न कि 'ठोस प्रावधान'।

15. यह एक सक्षम प्रावधान है, जो केवल राज्य के लिए उपलब्ध है कि जब भी राज्य कोई ऐसी नीति बनाने का इरादा रखता है जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार यह विशेषाधिकार है जिसे स्वयं राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वह आयोग से परामर्श करे; लेकिन धारा 10 के उस प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है जैसे कि यह एस0सी0/एस0टी0 आयोग को कोई अधिकार दे रहा हो कि वह अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके या उन अधिकारों पर कोई बाधा पैदा करे जो उन्होंने कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के पक्ष में बनाए हैं। धारा 10 के प्रावधान जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई है, वह एक ऐसा दायरा नहीं है जिसे आयोग की पहल पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह विशेष रूप से राज्य के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अधिनियम 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत खनन अधिकार बड़े पैमाने पर जनता के सामने लागू किए जाने वाले निर्णयों की पुष्टि करने का इरादा रखता है और वह भी नीतियों के संबंध में जो केवल एस0सी0/एस0टी0 के अधिकारों से संबंधित है, यह लागू नहीं होता है जहां यह किसी के निर्माण या विघटन से संबंधित है। इसलिए धारा 10 को राज्य द्वारा कार्यपालिका की कार्रवाई का बचाव करने के लिए बचाव और बहाने के रूप में

नहीं लिया जा सकता है कि वे एस0सी0/एस0टी0 आयोग के निर्णय से बंधे होंगे, जो अन्यथा इस न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुसार अधिनियम के एस0ओ0आर0 के मद्देनजर किसी भी तरह से कार्यपालिका की गतिविधियों को विनियमित करने के प्रभाव में कोई आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। जो भी हो और वह भी एस0सी0/एस0टी0 आयोग अधिनियम और अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत प्रदान की गई शक्तियां और कार्य के दायरे और उद्देश्य से परे है।

16. इस प्रकार ऊपर दिए गए कारणों और तर्कों के आधार पर न्यायालय का मत है कि एस0सी0/एस0टी0 आयोग के निर्देशों पर कार्यपालिका द्वारा दी गई प्रतिक्रिया वास्तव में निर्णय लेने में कार्यपालिका की कमजोरी को दर्शाती है जिसे वे अन्यथा उनके पास उपलब्ध कानून के अन्तर्गत लेने के हकदार हैं और उन्हें एस0सी0/एस0टी0 आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए था। कानून के अनुसार उनके पास अपने कार्यकारी डोमेन में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी तरह से कोई भूमिका और अधिकारी नहीं हैं।

17. इसलिए मेरा विचार है कि 2003 के एस0सी0/एस0टी0 आयोग अधिनियम के एस0आ0आर0 के उद्देश्यों के सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के आधार पर वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट या उप–विभागीय मजिस्ट्रेट या जो उनके अधीन कार्य कर रहा है द्वारा एस0सी0/एस0टी0 आयोग के निर्देशों को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.11.2021 की लीज की शर्तों के अन्तर्गत साबुन पत्थर की खुदाई में याचिकाकर्ता के कामकाज में कोई बाधा पैदा करने के लिए, कोई बाधा नहीं हो सकती है, चाहे वह मौखिक या लिखित आदेश द्वारा भी हो। इसलिए उपरोक्त कारणों के लिए रिट याचिका को स्वीकार किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को परमादेश की रिट जारी की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता के कार्यकरण में कोई बाधा न हो, जो दिनांक 12.10.2018 के सरकारी आदेश और दिनांक 23.09.2021 के सरकारी आदेश द्वारा उसके पक्ष में बनाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.11.2021 के लीज डीड का निष्पादन हुआ। प्रतिवादी–अधिकारियों यानी प्रतिवादी संख्या 3 और 4, जब तक कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं होती है, जहां तक पट्टे का जीवन जीवित है, कार्यपालिका एस0सी0/एस0टी0 आयोग की सिफारिशों के आधार पर खनन

के किसी भी कार्य को नहीं रोकेगी, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है और मेरा विचार है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार परमादेश की रिट जारी की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
28.04.2022

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (,e@,l) संख्या 403@2022

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

मैसर्स जे.डी. खनिजों के माध्यम से इसके मालिक .. याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... उत्तरदाताओं

याचिकाकर्ता के वकील श्री डीके जोशी।
श्री एस.एन.बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता,
श्री सी.एस.रावत की सहायता से,
उत्तराखंड राज्य के लिए सी.एस.सी.

दिनांक:28 अप्रैल, 2022

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे।

याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उठाए गए मूल मुद्दे का उत्तर देने से पहले, इस न्यायालय को एससी/एसटी आयोग अधिनियम के प्राधिकारी को दी जाने वाली व्याख्या के साथ-साथ उन प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा जो विशेष रूप से खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत खान और खनिज अधिकारों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के पास निहित हैं। जिसे 1963 के नियमों के रूप में इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संविधान की मूल मंशा और आपत्ति, जैसा कि राज्य विधान अर्थात उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 (इसके बाद 2003 का अधिनियम कहा जाता है) द्वारा तैयार किए जाने पर विचार किया जाता है। ध्यान में रखें। वास्तव में, आयोग के पास जो भी अधिकार निहित किए गए हैं, उसका प्रयोग उत्पीड़ित समुदाय के सदस्यों के कल्याण

के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए हैं। अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (एफ) और (जी) के तहत परिभाषित जाति को ध्यान में रखते हुए। इसकी प्रयोज्यता के दायरे को बड़े पैमाने पर जनता पर लागू करने के लिए निरर्थक रूप से व्यापक नहीं किया जा सकता है और वह भी उन विषयों के लिए जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं। चिंता का विषय यह होगा कि क्या सभी राज्य कार्यकारी, जो उस क्षेत्र पर अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने मामलों के शीर्ष पर हैं, जिसके साथ उन्हें कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निहित किया गया है, एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बिल्कुल भी कर सकते हैं। एससी एसटी आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश द्वारा शासित किया जा सकता है, जो इसकी शक्तियों के दायरे से परे है, और 2003 के अधिनियम के प्रावधान हैं।

2. 2003 के अधिनियम का आधार विधायी उद्देश्य, जिले के कार्यपालिका की शक्तियों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नहीं था, जिन्हें अधिनियम के तहत बनाए गए अपवादों को छोड़कर क्षेत्र के मामलों के प्रशासन के अपने अनन्य अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना है और 2003 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को तर्कहीन रूप से व्यापक नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि शासित अधिकारों में प्रवेश करने के लिए भी। खान और खनिज अधिनियम के स्वतंत्र प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा।

3. इस मामले में, मामले का तथ्यात्मक पहलू यह है कि जिला पिथौरागढ़ के बजेटा गांव में खनन गतिविधियों के लिए एक आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह आवेदकों में से एक था और गांव बजेटा जिला पिथौरागढ़ के 7.967 हेक्टेयर क्षेत्र से सोपस्टोन की खुदाई के लिए पट्टे के अधिकार के साथ विचार किया जाना था।

4. याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक सफल बोलीदाता के रूप में उनके दृढ़ संकल्प के परिणामस्वरूप, स्वीकृति पत्र जारी किया गया था, और उन्हें 50 साल की अवधि के लिए सोपस्टोन की खुदाई करने की अनुमति देने के लिए अनुबंध के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने थे, जो 12.11.2021 को उनके पक्ष में निष्पादित किए गए अनुबंध / पट्टे की शर्तों के तहत कवर किया गया था। रिट याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि 12.11.2021 को लीज डीड के निष्पादन के परिणामस्वरूप उसके अधिकारों की समाप्ति पर, विभिन्न कोडल औपचारिकताओं से पहले, जो तहसीलदार के स्तर से लेकर जिला मजिस्ट्रेट तक जिले के कार्यकारी द्वारा आयोजित की जानी आवश्यक थीं। खनन विभाग के अधिकारियों सहित और दिनांक 13.10.2020 की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता और खुद जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में सोपस्टोन की खुदाई के अधिकार के निर्माण की परियोजना की वास्तविक संभावना से अवगत कराया, जो 17.12.2020

को यानी उससे पहले बनाया गया था वास्तव में, 12.11.2021 को लीज डीड के निष्पादन में यह पाया गया है कि ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई विश्वसनीयता नहीं है और अनुबंध के निष्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 61वीं बैठक की सिफारिशों के तहत निहित प्रावधानों के साथ-साथ पर्यावरण और वन मंजूरी के अनुरूप है। अधिग्रहण। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा 12.08.2021 को याचिकाकर्ता के पक्ष में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप 23.09.2021 को निष्पादित सरकारी आदेश संख्या 1425/VII-A-1/1(13)/18 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में लीज-डीड के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 12.11.2021 को उसके पक्ष में भी पंजीकृत किया गया था।

5. लेकिन, याचिकाकर्ता के सामने अज्ञात कारणों से और वह भी प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों का पालन किए बिना, स्थानीय अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं में 12.11.2021 के लीज डीड के समापन अनुबंध की शर्तों के तहत काम करने में बाधाएं पैदा कीं और वह भी पट्टे को रद्द करने के किसी भी आदेश के बिना, और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सभी अनुरोध, जो उसके पत्राचार के माध्यम से किए गए थे। जो उन्होंने 24.11.2021 और 09.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 को प्रस्तुत करने का तर्क दिया था, प्रतिवादी के कार्यालय द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी और इसलिए, अंततः याचिकाकर्ता को 23.12.2021 को मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी

शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। कार्रवाई और निष्क्रियता या प्रेरित कार्रवाई का लेखा;; अधिकारियों के इशारे पर 12.11.2021 के निर्वाह लीज डीड की शर्तों के तहत सोपस्टोन की खुदाई में याचिकाकर्ता के कामकाज में अवरोध पैदा करने के लिए और वह भी बिना कोई आदेश पारित किए या उसे सुनवाई का कोई अवसर देने के बाद पट्टे की समाप्ति के बिना। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि कोई भी मौखिक बाधा जो अधिकारियों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है, समाप्त अनुबंध के अपने निष्पादन के बाद, कानून की नजर में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब इसे कानून का समर्थन नहीं मिल रहा है।

6. लेकिन, अंततः, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में मामला उठाया है, कि वास्तव में, बाद में, याचिकाकर्ता को यह परिलक्षित किया गया कि यह एक मौखिक आदेश पर था और बल्कि एक संचार था, जो 08.11.2021 को कार्यपालिका को किया गया था, जहां एससी एसटी आयोग द्वारा एसडीएम को 08.11.2021 के अपने संचार के माध्यम से निर्देश दिया गया था। किसी व्यक्ति की शिकायत पर खनन गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करना। मुद्दा यह होगा कि 2003 के अधिनियम के तहत बनाए गए एससी एसटी आयोग के पास निहित शक्तियों के उपयोग का दायरा और दायरा क्या है, जो अधिनियम के दायरे से परे, अधिकारियों के कार्य में प्रवेश करने के लिए है, जो उनके जन्म का स्रोत है। यदि अधिनियम को ही ध्यान में रखा जाता है, तो इस न्यायालय का विचार है कि 2003 के अधिनियम को तैयार करने का

एकमात्र विधायी इरादा केवल उत्पीड़ित वर्ग के कल्याण और हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से था, लेकिन, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है और इसे तर्कहीन रूप से विस्तारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ताकि कार्यपालिका के कामकाज में कोई बाधा पैदा हो सके, जो वे अन्यथा लागू कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो इस मामले में खान और खनिज अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम हैं। इस प्रयोजनार्थ, 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के संदर्भ को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार निकाला गया है - उत्तरांचल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने के लिए एक अधिनियम ताकि इससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का प्रावधान किया जा सके ।

7. अधिनियम के कथन, उद्देश्य और कारणों के दृष्टिकोण से विवाद को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भले ही अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया हो, जैसा कि इसके अध्याय 3 में निहित है, जो इसकी धारा 11 और 12 में आयोग के कर्तव्यों और कार्यों के साथ-साथ शक्तियों के दायरे का प्रावधान करता है, जिनका उपयोग आयोग कर सकता है, संदर्भों के प्रयोजनों के लिए जो बिल्कुल भी किए जा सकते हैं। इसमें उस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें आयोग ने खनन गतिविधियों से संबंधित निर्देश जारी करके उद्यम करने की कोशिश की है, क्योंकि यह वर्तमान मामले में विचार को प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से जब संविधि ने अपनी विशिष्ट

शर्तों में अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्तियों और कार्यों के प्रयोग को सीमित कर दिया है, जिसे इसके तहत निकाला गया है:

11 (1) आयोग का यह कर्तव्य होगा:-

(क) संविधान के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आथक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को वाषक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, उन सुरक्षोपायों के कार्यकरण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आथक विकास के लिए उन सुरक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें करना और

(च) संरक्षण, कल्याण के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास और उन्नति, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसे भेजा जाए।

(2) राज्य सरकार आयोग की रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी जिसमें सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली

प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के कारणों, यदि कोई हो, को स्पष्ट किया जाएगा।

8. इसे आयोग द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्ट कार्य या व्याख्या द्वारा व्यापक नहीं किया जा सकता है, जो अंततः एक ऐसी स्थिति में ले जा सकता है जहां आयोग को कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए लिया जाएगा, जो अन्यथा कानून के तहत मामलों को विनियमित करने और प्रबंधित करने के लिए शक्तियों का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से अधिकारियों का विशेषाधिकार है। इस प्रकार भी, 2003 के अधिनियम के अध्याय 3 के परिप्रेक्ष्य से, चूंकि आयोग को विशेष रूप से ऐसी शक्तियों के साथ निहित नहीं किया गया है जहां वे खनन गतिविधि को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से सिफारिश कर सकते थे, निर्देश स्वयं आयोग की क्षमता के बिना होंगे।

9. इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि जहां तक एससी/एसटी आयोग द्वारा खनन गतिविधि को रोकने के लिए कार्यपालिका के कामकाज को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियों का प्रयोग है, क्योंकि एससी एसटी समुदाय के सदस्यों में से एक ने अपनी शिकायत उठाई है, कुछ कथित नुकसान, जो उसे हो सकता है, यदि 12.11.2021 के समापन पट्टे के तहत खनन गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाती है, तो एससी/एसटी आयोग के निर्देशों पर खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने या खनन गतिविधि को रोकने में बाधा पैदा करने के लिए अलग-अलग नहीं निकाला जा सकता है, जिसे कानून के तहत ऐसी कोई शक्ति नहीं मिली है और यह 2003 के

अधिनियम के अध्याय III के तहत प्रदान किए गए एससी और एसटी आयोग के कार्यों और शक्ति से परे है। अधिनियम की धारा 11 और 12 में निहित है।

10. इस विवाद को एक और संभावित व्यक्ति से देखा जाना चाहिए, यह भी कि एससी/एसटी आयोग द्वारा शक्तियों के प्रयोग का दायरा क्या होगा, जहां एससी/एसटी आयोग को किसी भी मुद्दे पर कोई 'न्यायिक अधिकार' या अधिकार नहीं दिया गया है, जिसे किसी अधिनियम के तहत जनता या किसी व्यक्ति को दिए जाने पर विचार किया गया है। और 2003 के अधिनियम के तहत बनाए गए एससी/एसटी आयोग के पास वैधानिकता निहित होने के कारण, एससी/एसटी आयोग को 08.11.2021 का आदेश पारित करने का भी कोई अधिकार नहीं था, जिसमें उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को खनन गतिविधि पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को 12.11.2021 के लीज डीड के तहत लगाए जाने की उम्मीद थी। एसडीएम या अन्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, एससी और एसटी आयोग के अधीनस्थ नहीं हैं, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए उन पर नियंत्रण की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। एक और तर्क है जो इस न्यायालय का विचार है कि एक बार जब एससी/एसटी आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के मद्देनजर न्यायिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो यह राज्य के अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग के कार्यकारी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है।

11. यदि न्यायिक अधिकार आयोग के पास निहित नहीं है, तो एससी/एसटी आयोग खनन गतिविधि पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी कार्य को करने या करने से बचने की अनुमति देने की शक्ति हमेशा एक क़ानून का निर्माण होती है। यदि क़ानून आयोग को कोई शक्ति प्रदान करने पर चुप है, जिसने अधिकारियों को किसी गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं कानून के साथ समर्थित और एक पंजीकृत पट्टा विलेख के आधार पर, आयोग को कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण के पास निहित नहीं किया गया है, जो खान और खनिज अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अपने प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में अधिकारियों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण रखता है, जिसमें व्यक्तियों को खनन अधिकार देने के कार्य शामिल हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनधिकृत रूप से जारी किए गए निर्देशों के कारण जब कोई रोक लगाई गई थी और याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं किया गया था, तो अधिकारियों ने उसे पट्टे के तहत खनन गतिविधियों को करने की अनुमति देने के उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, तो उसने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद रिट कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार बुलाया है, किन परिस्थितियों और किन कारणों और शक्तियों के लिए वह पट्टे के जीवनकाल के दौरान खनन गतिविधि को रोक सकते थे, जब यह कानून की नजर में लागू था और इसे किसी भी आदेश द्वारा रद्द, रद्द या समाप्त नहीं किया गया था।

12. इसके जवाब में जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की खनन गतिविधि में रोक लगाने की जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2003 के अधिनियम की धारा 10 के तहत निहित प्रावधानों का संदर्भ दिया था।

13. यह न्यायालय धारा 10 के प्रभाव और विधायी उद्देश्य और उद्देश्य से निपटने के लिए उपयुक्त महसूस करता है, जिसे इसके तहत निकाला गया है:

> **10. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।**

14. वास्तव में, 2003 के अधिनियम की धारा 10 के तहत निहित प्रावधानों के लिए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई व्याख्या, इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत निहित प्रावधानों के लिए उनके द्वारा दिए गए तर्क के लिए स्वीकार्य नहीं है, जिसके कारण 2003 के अधिनियम की धारा 10, यह केवल एक '**सक्षम प्रावधान**' है, न कि '**ठोस प्रावधान**'।

15. यह एक सक्षम प्रावधान है, जो केवल राज्य के लिए उपलब्ध है कि जब भी राज्य कोई ऐसी नीति बनाने का इरादा रखता है जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार यह विशेषाधिकार है जिसे स्वयं राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वह आयोग से परामर्श करे; लेकिन धारा 10 के उस प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है, जैसे कि यह एससी/एसटी आयोग को कोई अधिकार दे रहा हो, कि वह अधिकारियों को उनके आधिकारिक

कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके या उन अधिकारों पर कोई बाधा पैदा करे जो उन्होंने कानून के तहत किसी व्यक्ति के पक्ष में बनाए हैं। धारा 10 के प्रावधान, जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई है, वह एक ऐसा दायरा नहीं है जिसे आयोग की पहल पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह विशेष रूप से राज्य के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, बस बड़े पैमाने पर जनता के सामने लागू किए जाने वाले निर्णयों की पुष्टि करने का इरादा रखता है और वह भी नीतियों के संबंध में, जो केवल एससी/एसटी के अधिकारों से संबंधित है, यह लागू नहीं होता है जहां यह किसी के निर्माण या विघटन से संबंधित है। अधिनियम 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत खनन अधिकार। इसलिए, धारा 10 को राज्य द्वारा कार्यपालिका की कार्रवाई का बचाव करने के लिए बचाव और बहाने के रूप में नहीं लिया जा सकता है, कि वे एससी/एसटी आयोग के निर्णय से बंधे होंगे, जो अन्यथा इस न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुसार, अधिनियम के एसओआर के मद्देनजर, किसी भी तरह से कार्यपालिका की गतिविधियों को विनियमित करने के प्रभाव में कोई आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। जो भी हो और वह भी एससी/एसटी आयोग अधिनियम के दायरे और दायरे और उद्देश्य से परे, और 2003 के अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत प्रदान की गई शक्तियां और कार्य।

16. उस स्थिति में और ऊपर दिए गए कारणों और तर्कों के लिए, इस न्यायालय का विचार है कि एससी/एसटी आयोग के निर्देशों पर कार्यपालिका द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, वास्तव में निर्णय लेने में कार्यपालिका की कमजोरी

को दर्शाती है, जिसे वे अन्यथा उनके पास उपलब्ध कानून के तहत लेने के हकदार हैं और उन्हें एससी/एसटी आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए था। कानून के अनुसार, उनके पास अपने कार्यकारी डोमेन में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी तरह से कोई भूमिका और अधिकारी नहीं हैं।

17. इसलिए, मेरा विचार है कि 2003 के एससी/एसटी आयोग अधिनियम के एसओआर के उद्देश्यों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा कोई बाधा नहीं हो सकती है, जो उनके अधीन काम कर रहा है और उनके निर्देश और उनके निर्देश एससी/एसटी आयोग के निर्देशों को स्वीकार करते हुए, चाहे वह मौखिक या लिखित आदेश द्वारा भी हो, 12.11.2021 की लीज की शर्तों के तहत साबुन पत्थर की खुदाई में याचिकाकर्ता के कामकाज में कोई बाधा पैदा करने के लिए। इसलिए, उपरोक्त कारणों के लिए रिट याचिका को स्वीकार किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को परमादेश की रिट जारी की जाती है, कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता के कार्यकरण में कोई बाधा न हो, जो 12.10.2018 के सरकारी आदेश और 23.09.2021 के सरकारी आदेश द्वारा उसके पक्ष में बनाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप 12.11.2021 के लीज डीड का निष्पादन हुआ। प्रतिवादी-अधिकारियों, यानी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा बनाया या बाधित किया जाता है, जब तक कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं होती है, जहां तक पट्टे का जीवन जीवित है, कार्यपालिका

एससी/एसटी आयोग की सिफारिशों के आधार पर खनन के किसी भी कार्य को नहीं रोकेगी, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है और मेरा विचार है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार परमादेश की रिट जारी की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे- ½

28.04.2022

उज्ज्वल/एके